



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1296) पटना, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2025

एस0ओ0 147 दिनांक 31 जुलाई 2025—“लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” की धारा-32(1) में निहित प्रावधानानुसार श्री सत्यजीत कुमार सिंह, लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट के रूप में सी0बी0आई0 द्वारा दर्ज निम्न तीन वादों में कार्यो का संचालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

Sl. No.	Case No.	Dt. of Registration	Dt. of Filing C/Sheet	Section	Name of the Court
1.	RC0922019S0002	15-01-2019	25-12-2019	U/sec. 120-B, 201, 323, 342 & 377 of IPC and Sec. 6, 9, 10 & 17 of POCSO Act, 2012	The Ld. Ist Addl. District & Session Judge-cum-spl. Court of POCSO Act, Bhagalpur.
2.	RC0922019S0008	16-01-2019	27-12-2019	U/sec. 120-B, 370 (A), 376 (2) (d) of IPC and Ec. 5 (d) & 6 of POCSO Act, 2012	Lt. Addl. Session Judge-I cum-spl. Judge for POCSO Act, East Champaran, Motihari
3.	RC0922019S0010	16-01-2019	24-12-2019	U/sec. 120-B, 323, 354, 420, 468, 471, 477-A of IPC and Sec. 10, 12 & 17 of POCSO Act, 2012	The Addl. Session Judge-I (POCSO Court), Kaimur, Bhabhua, Bihar.

2. श्री सत्यजीत कुमार सिंह, लोक अभियोजक को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में उपर्युक्त तीन वादों के लिए नामित किया जाता है।

3. इनके शुल्क का भुगतान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अपराध-III, नई दिल्ली द्वारा उनके नियुक्ति के शर्तों के नियमानुसार किया जा सकेगा।

(संचिका संख्या-सी0/ए0एस0-50-07/2019-4767/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1296-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>